भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
https://prgi.gov.in

दिनांक: .01.2026

2026 की एड्वाइजरी संख्या 03

विषय: प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियम, 2024 के नियम 10 के अंतर्गत नियतकालिक पत्रिकाओं की प्रतियों की आपूर्ति – प्रेस सेवा पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक संस्करण अपलोड करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियम, 2024 के नियम 10 की ओर सभी प्रकाशकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें समाचार-पत्रों एवं नियतकालिक पत्रिकाओं की इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक प्रतियों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2. नियम 10 (1) के अनुसार, प्रत्येक प्रकाशक के लिए यह अनिवार्य है कि वह समाचार-पत्र/पत्रिका के प्रत्येक अंक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रकाशन के अड़तालीस (48) घंटे के भीतर प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करे।

3. इसके अतिरिक्त, नियम 10(2) के अनुसार, प्रकाशक को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) कार्यालय में प्रत्येक माह के पाँचवीं तारीख तक पिछले माह में प्रकाशित सभी अंकों की भौतिक प्रतियाँ उपलब्ध करानी होंगी।

4. इस संदर्भ में, प्रेस सेवा पोर्टल पर "इलेक्ट्रॉनिक संस्करण" अपलोड करने के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

- इस अपेक्षा से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम, 2023 के अंतर्गत पंजीकृत सभी पत्रिकाएँ, पंजीकरण के समय स्वामी/प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं आवेदन के अनुसार, निरंतर मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही हैं।
- "इलेक्ट्रॉनिक संस्करण" से तात्पर्य मुद्रित (भौतिक) समाचार-पत्र/पत्रिका की **स्कैन की गई प्रति/छवि**से है। केवल **PNG, JPEG, JPG अथवा PDF** (मुद्रित प्रति की छवि वाला) प्रारूप ही प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड हेतु स्वीकार्य होंगे।
- मुद्रित समाचार-पत्र/पत्रिका के **केवल प्रथम पृष्ठ** को, जिस पर **मास्टहेड एवं डेटलाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे**, अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- समाचार-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ अथवा पूर्ण समाचार-पत्र को अपलोड करना आवश्यक नहीं है।
- समाचार-पत्र के प्रथम पृष्ठ को प्रकाशन के अड़तालीस (48) घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) कार्यालय में प्रत्येक माह के पाँचवीं तारीख तक पिछले माह में प्रकाशित सभी अंकों की भौतिक प्रतियाँ उपलब्ध करानी होंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत, समाचार-पत्रों की भौतिक प्रतियाँ जमा करने हेतु **पीआरजीआई कार्यालय** नोडल कार्यालय होगा।

5. सभी प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रेस और नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण नियम, 2024 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के गैर- **अनुपालन** से बचने हेतु उपर्युक्त प्रावधानों का सख्त पालन सुनिश्चित करें।

यह एड्वाइजरी प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी की गई है।

(रजित चंद्रन एम. आर.)
उप प्रेस महापंजीयक